जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/डी–2076 दिनांकः–19/9/2013

कार्यवाही विवरण

विषय :– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 145वीं बैठक दिनांक 11.09.2013 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1	145.1	भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 143वीं बैठक दिनांक 27.08.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 144वीं बैठक दिनांक 03.09.2013 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवाही विवरण अभी जारी नहीं किया गया है।	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 143वीं बैठक दिनांक 27.08.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति पर संतोष व्यक्त किया गया। बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 144वीं बैठक दिनांक 03.09.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
2.	145.2	खसरा नम्बर 123, 124, 133/669, ग्राम–नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा, तहसील–सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि फायर स्टेयर केस को उपयुक्त स्थान पर प्रस्तावित करते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
3.	145.3	खसरा नम्बर 597/2, 612/2, 615/2, 616/1 व 617/2, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. आवेदक द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के अनुसार EWS व LIG वर्ग हेतु कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के 5.32 प्रतिशत के बराबर निर्मित क्षेत्रफल आरक्षित दर्शाया गया है जो कि अपेक्षित 5.00 प्रतिशत से अधिक है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 2. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि

			इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. संशोधित मानचित्रों में भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है, अतः संशोधित भवन मानचित्रों के परिपेक्ष्य में अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 4. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
4.	145.4	निजी खातेदारी स्कीम, साउथ एक्स, ग्राम–मथुरावाला एवं अजयराजपुरा, तहसील–सांगानेर, टौंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. भवन विनियम 2012 के बिन्दु संख्या 8.10 (4) के अनुसार यदि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु अथवा मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क हेतु किसी भूखण्ड़ की भूमि/गैर रूपान्तरित कृषि भूमि निःशुल्क समर्पित कराई जाती है तो समर्पित करवाई जाने वाली भू–पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर एफ.ए.आर. उस शेष भूखण्ड़ पर अनुज्ञेय मानक एफ.ए.आर. के अतिरिक्त देने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा 60 फीट चौड़ी सड़क क्षेत्र में जाने वाली 681.08 वर्ग गज भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण में निःशुल्क समर्पित की गई है, जिसका उल्लेख जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी स्थल मानचित्र में किया गया है। आवेदक द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त 681.08 वर्ग गज भूमि क्षेत्र का अतिरिक्त एफ.ए.आर. चाहा गया है। अतः भवन विनियम 2010 संशोधित दिनांक 07.12.2012 के बिन्दु संख्या 8.10 (4) अनुसार मानक एफ.ए.आर. 1.33 + 596.48 वर्ग

			मीटर क्षेत्रफल के पश्चात् अतिरिक्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

19/9/13

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 145वीं बैठक दिनांक 11.09.2013 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री अभय कुमार, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा जयपुर।	सदस्य
4.	श्री अनिल अग्रवाल अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री नीरज तिवाड़ी, अति.मु.न.नि. बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रितः–

7. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।

19/9/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि. / बीपीसी / 2013 / डी–2076 दिनांकः–19/9/2013

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (प्रशासन) / (एलपीसी) / (भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.........जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

19/9/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)